will be a new precedent. In case the Question Hour has to be suspended, "there should be a voting on that. Otherwise, we cannot create a new precedent. This would be a new precedent.

*342. *[The Questioner (Miss Saroj Khaparde) was absent. For answer* vide col.....infra]

MR. CHAIRMAN: Q. No. 343—Shri Ramdas Agarwal. *(Interruptions)*

If there is no consensus for suspending the Question Hour, I have to proceed with the questions. ...*(Interruptions)*... No; I called Question No. 343. Shri Ramdas Agarwal. ...*(Interruptions)*... Question 344. Dr. Abrar Ahmed.

*343. *[The Questioner (Shri Ramdas Agarwal) was absent, tor answer* vide col.....infra]

Representation received against exclusion of drugs from price control

*344. DR. ABRAR AHMED:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the Unstarred Question 1949 given in Rajya Sabha on 14th May, 1992 and state:

(a) what are the reasons for keeping the drugs having turnover of Rupees Fifty Lakhs or more under price control when drugs having annual turn-over in crores are kept outside price control;

(b) what are the names of drugs having turn over of more than one crore which are exempted from price control;

(c) whether it is a fact that Government received number of representations against the exclusion of most of these drugs which do not fulfil the exclusion criteria of the Kelkar Committee;

(d) if so, what is Government's reaction thereto;

(e) whether it is a fact that after February, 1990 the criteria relating to exclusion and inclusion have not been implemented; and

(f) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to .(f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (f) The list of category II bulk drugs, as contained in the Drugs (Prices Control) Order, 1987 (DPCO '87) was drawn on the basis of recommendations made in the Main Report and The Supplementary Reports, of a committee constituted for this purpose headed by Dr. Vijay Kelkar, the then Chairman, BICP- Subsequently, there were a large number of representations received by the Government including letters from MPs, against inclusion/exclusion of drugs in the list of price control under DPCO, 1987.

The issues relating to inclusion/ exclusion of drugs under price control have been intensively examined as part of the review of Drug Policy '86. The review excercisc has taken into account, *inter-alia,* the need for evolving objective and transparent criteria for the purpose of selection of drugs, for price control. The outline of the approach has been spelt out in a background note which has been placed on the tables of both the Houses of Parliament on 12th August, 1992 for inviting suggestions from the Hon'ble Members and it is expected to be taken up for discussion soon.

डा॰ अबरार अहमद: माननीय चेयरमेन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय,मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे मूल प्रश्न के अंदर जो मैंने सवाल पूछा था, उसमें "ख" और "ग" का पूर्ण उत्तर जो नहीं आया है, उस संबंध में सरकार आगे क्या करने जा रही है?

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, ...*(Interruptions)*...

डा॰ अबरार अहमद: माननीय चेयरमेन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे इस सवाल में जो मैंने बात पूछी थी, उसके

अंदर आपने उत्तर में जो बात कही है कि इस संबंध में प्रस्ताव की रूपरेखा को 12/8/92 को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था और विचार-विमर्श जल्दी किए जाने का आश्वासन दिया है तो उस संबंध में आगे आप क्या करने जा रहे हैं? और, सभा-पटल पर जो रखा गया था, उस बारे में माननीय मंत्री जी बताएं।

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, ... *(Interruptions)...*

डा० अबरार अहमद: माननीय चेयरमेन सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी, इसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि डीपीसीओ, 1987 के अंतर्गत कीमत नियंत्रण की सूची में औषधों को शामिल करने/बाहर निकालने के खिलाफ सरकार को आवेदन प्राप्त हुए थे, तो क्या माननीय मंत्री जी उस संबंध में कोई विशेष जानकारी देंगे?

SHRI CHINTA MOHAN: Sir. *...(Interruptions)...*

डा० अबरार अहमद: माननीय चेयरमेन सर, मेरी सेकेंड सप्लीमेंटरी यह है कि जो माननीय मंत्री जी ने प्रथम सप्लीमेंटरी का उत्तर दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं जो बात औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश के संबंध में कही है और यह कहा है कि पचास लाख रुपए तक की औषध नियंत्रण में रखी गई है, इसके बारे में क्या मंत्री जी आगे कोई विचार करेंगे और इस संबंध में कोई जानकारी देंगे?

(Interruptions)

माननीय चेयरमेन सर, मैंने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में यह बताएं कि इसके अंदर जो पार्ट "क" और "ख" में बात कही गई है, क्या उस संबंध में सदन को बताएंगे? माननीय चेयरमेन सर, मैंने पूछा था कि पचास लाख रुपए या उससे अधिक की कुल बिक्री वाली औषधियों को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखे जाने के क्या कारण हैं, जबकि करोड़ों रुपए की कुल वार्षिक बिक्री वाली औषधियों को मूल्य नियंत्रण से बाहर रखा गया है और जो बाहर रखा गया है उस संबंध में क्या वह सूची आप सदन को बताएंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था।

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Shri R.R. Sahu. *...(Interruptions)...* Shri Suresh Pachouri.

(Interruptions)

श्री रजनी रंजन साहू: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दवाई औषधियों की सूची, जिसका इस वर्ष मूल्य नियंत्रण किया गया है, उसे नई औषधि नीति (New Drug Polices) की सूची में उसका समावेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? **(व्यवधान)** I would like to know whether this policy *(Interruptions)...*

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, *...(Interruptions)...*

श्री सुरेश पचौरी: चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बी०आई०सी०पी० के तत्कालीन अध्यक्ष डा० विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ...**(व्यवधान)**... मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस समिति के सदस्य कौन-कौन थे और समिति की सिफारिशें क्या-क्या थीं ....**(व्यवधान)**... और समिति की समयावधि क्या-क्या थी और समयावधि खत्म होने के बाद उस पर क्या अमल किया गया? ...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस समिति के समक्ष कितने अभ्यावेदन प्रस्तुत हुए और जो अभ्यावेदन प्रस्तुत हुए उन पर सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की? ...**(व्यवधान)**... साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बी०आई०सी०पी० के तत्कालीन अध्यक्ष डा० विजय केलकर की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उसके सदस्य कौन-कौन थे, उसका मानदंड क्या था ...**(व्यवधान)**... और सरकार ने जो यह कहा है कि उनके प्रस्ताव पर शीघ्र ही विचार विमर्श किया जाएगा, तो वह अब भी कर सकती है, और उस अवधि की समय-सीमा क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से विस्तार में उत्तर चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, ... *(Interruptions)....*

MR. CHAIRMAN: Q No. 345. Mr. Suresh Kalmadi.